यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 72/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री महावीर सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत नि0चावण्डेरी पो0 भोपालगढ वाया पुर जिला भीलवाड़ा **बनाम** सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 15/10/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के विरूद्व दिनांक 28.08.2018 को अपीलार्थी की ओर से जरिये डाक अपील प्राप्त हुई। आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को दिनांक 18.07.2018 को प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा ने सूचना नियत अवधि दिनांक17.08.2018 तक भी उपलब्ध नहीं कराई जिससे यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 18.07.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 05/09/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर दिनांक 15.10.2018 को अपने पत्रांक सू.अ./2018/28 दिनांक 24.09.2018 से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का तिलोली को दैनिक डायरी दिनांक 04.06.2017 से 15.06.2017 तथा मासिक सारांश माह जून–2017 की सूचना उपलब्ध कराने हेतु पटवारी हल्का तिलोली को पत्रांक160 दिनांक 17.09.2018 से लिखा गया है परन्तु अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है प्राप्त होते ही उपलब्ध कराई जाने हेतु लिखा है। जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी उपलब्ध कराई गई। अपील खारिज फरमाई जावे। अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रत्यर्थी को सुना गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 18.07.2018 के अनुसार पटवारी हल्का तिलोली की दैनिक डायरी एवं मासिक सारांश की नकलें प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन दिनांक 18. 07.2018 को प्रस्तुत किया जिसके अनुसार सूचना अपीलार्थी को 17.08.2018 तक उपलब्ध कराना आवश्यक था परन्तु अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत किए जाने पर भी सूचना उपलबध नहीं कराया जाना सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की मंशा के अनुरूप नहीं है। जैसाकि भूअभिलेख नियमों के तहत भी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रत्येक पटवारी की दैनिक डायरी एवं मासिक सारांश तहसील कार्यालय में जमा होना आवश्यक है। जिनके रिकॉर्ड जमा नहीं होते हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही के प्रावधान है। इससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार के द्वारा पटवारियों पर किसी प्रकार का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। तहसीलदार जो स्वयं सहायक लोक सूचना अधिकारी है जिसका स्वयं का दायित्व है कि वह सूचना स्वयं उपलब्ध करावें परन्तु प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया कि पटवारी हल्का के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जो उदासीनता को प्रकट करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस प्रकार का प्रत्युत्तर उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में वांछित सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए पालना प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 15/10/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा